न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/133
मिसलनम्बर– 19 / 2025

बाबूलाल आत्मज श्री देवीशंकर जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कजोडी बाई पत्नी स्व0 इन्द्रराज जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
2.कन्हैयालाल आत्मज बिरधीलाल जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
3.कुलदीप पारेता आत्मज श्री अमरलाल जी जाति कलाल निवासी म0नं0 61 रायपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
4.कान्ता बाई पुत्री बिरधीलाल जी जाति जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
5.चन्दा बाई पत्नी स्व0 मदनलाल जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
6.जानकी बाई पत्नी स्व0 देवीशंकर जी जाति माली निवासी डिसेन्ट स्कूल के पास राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा
7.जितेन्द्र आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
8.द्वारकीलाल आत्मज देवीशंकर जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
9.नीरज आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
10.फूलन्ता पुत्री इन्द्रराज जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
11.बनवारीलाल आत्मज देवीशंकर जी जाति माली निवासी डिसेन्ट स्कूल के पास राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा
12.महावीर मेवाडा आत्मज मदनलाल मेवाडा जाति कलाल निवासी म0नं0 2 पी 36 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा
13.मीनाक्षी पुत्री मदनलाल जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
14.रूकमणी बाई पुत्री देवीशंकर जी जाति माली निवासी डिसेन्ट स्कूल के पास राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा
15.रमेश आत्मज इन्द्रराज जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
16.रामरतन पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
17.लटूर आत्मज गणेश जाति माली निवासी डिसेन्ट स्कूल के पास राजनगर तहसील लाडपुरा कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

18.सुगना बाई पत्नी स्व0 बिरधीलाल जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
19.संगीता पत्नी बनवारी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
20.सुनीता पुत्री बिरधीलाल जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
22.हरिओम आत्मज बिरधीलाल जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
23.हरिनारायण आत्मज प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा
24.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 12/5/25

.....

उपस्थितिः–
1.श्री भारत सिंह अडेसला, श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 23 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 45 पुराना 42 की हाल ख0नं० 27 की रकबा 0.14 है० किस्म नहरी प्रथम, ख०नं० 28 की रकबा 0.17 है० किस्म नहरी प्रथम, ख0नं0 29 की रकबा 0.05 है० किस्म नहरी प्रथम, खनं0 30 की रकबा 0.11 है० किस्म नहरी प्रथम, ख०नं० 31 की रकबा 0.35 है० किस्म नहरी प्रथम, ख०नं0 37 की रकबा 2.20 है० किस्म नहरी प्रथम, ख०नंव 39 की रकबा 1.28 है० किस्म नहरी प्रथम व खु०नं० 40 रकबा 0.11 है० किस्म गैर मुमकिन धोरा कुल 8 किता की 4.41 है आराजी स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 23 के शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है । उक्त वर्णित संपूर्ण आराजी में प्रार्थी का अविभाजित 1.36 (0.1225 है० के बराबर) हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार उक्त वाद वर्णित आराजी में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 23 का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में लिखे अनुसार पृथक पृथक हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 23 के शामलाती खाते में दर्ज है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त आराजी में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से किये गये मौखिक विभाजन के अनुसार उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 37 की 2.20 है व भूमि में से 0.1225 हैक्टर (वाद वर्णित भूमि में निहित 1/36 हिस्सा भूमि के अनुसार) भूमि पर निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रार्थी उक्त आराजी में अपने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अविभाजित 1/36 हिस्सा भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है। प्रतिपक्षीगण उक्त वर्णित शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते हैं तथा उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ गैर कानूनी रूप से भूखण्डो में विभक्त कर विक्रय करने पर आमादा हैं तथा खाता शामलाती होने से लगान पिलाई आदि की राशि की अदायगी में भी विवाद करते हैं उक्त कारण से प्राथी विभाजन करवाकर अपना पृथक खाता एवं लगन कायम करवाना चाहता है। प्रार्थी संयुक्त खाते की उक्त आराजी में 1/36 हिस्सा भूमि का सह खातेदार है। प्रार्थी शामलाती खाते में से उक्त अपने 1/36 हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने कब्जेशुदा भूमि खं०नं० 37 की 2.20 है० में से 0.1225 है० भूमि अपने पृथक खाते दर्ज करवाने का आधिकारी है। प्रतिपक्षी नं० 1 लगायत 23 उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना ही उक्त आराजी को रहन, बेचान करने, उक्त आराजी को गैर कानूनी रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के आशय से उक्त आराजी को भूखण्डों में विभक्त कर विक्रय आदि करने पर तथा प्रार्थी को अपने निहित हिस्सा भूमि पर कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि का विधिवत विभाजन हये बिना ही उक्त आराजी को गैर कानूनी रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुये भूखण्डो मैं विभक्त कर विक्रय कर दिया तो प्रार्थी के साम्पत्तिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी ने दिनांक 01.02.2025 को प्रतिपक्षी नं० 1 लगायत 23 से उक्त आराजी का विभाजन करवाकर वादी का पृथक खाता दर्ज करवा देने का अनुरोध किया तो प्रतिपक्षी नं० 1 लगायत 23 ने इंकार कर दिया उल्टा उक्त आराजी को बिना विभाजन के ही रहन, बेचान करने तथा गैर कानूनी रूप से कृषि से अकृषि में उपयोग करने के दुराशय से उक्त भूमि पर प्लानिंग कर बेचान कर देने, खुर्द बुर्द रहन, आदि प्रकार से हस्तान्तरित करने की धमकी दी। उक्त कारण से प्रार्थी को माननीय न्यायालय में शीघ्र वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्रतिपक्षीगण यदि अपने अवैध कृत्यों में सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद पेश करना निरर्थक हो जावेगा, प्रार्थी को अनेको विवादों में उलझना पड़ेगा, प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी अपनी कृषि आराजी से बेदखल, वंचित हो जावेगा। प्रार्थी का कैस प्रथम दृष्टया है एवं सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमायी जावे कि– कि प्रार्थी को ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 45 पुराना 42 की हाल ख०नं० 27 की रकबा 0.14 है० किस्म नहरी प्रथम, ख०नं0 28 की रकबा 0.17 है0 किस्म नहरी प्रथम, ख०नं0 29 की रकबा 0.05 हैव किस्म नहरी प्रथम, ख०नं० 30 की रकबा 0.11 है० किस्म नहरी प्रथम, ख०नं० 31 की रकबा 0.35 है0 किस्म नहरी प्रथम, ख०नं0 37 की रकबा 2.20 है0 किस्म नहरी प्रथम, ख०नं० 39 की रकबा 1.28 है० किस्म नहरी प्रथम व ख०नं0 40 रकबा 0.11 है० किस्म गैर मुमकिन धोरा कुल 8 किता की 4.41 है० आराजी में प्रार्थी के 1/36 हिस्से आराजी में शांतिपूर्ण कब्जे काश्त करने में दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी को अपनी हिस्सा भूमि में शांतिपूर्वक काश्त करने देवें तथा उक्त आराजी को विधिवत विभाजन हुए बिना रहन, बेचान नहीं करे, उक्त आराजी को मैर कानूनी रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लेवें, उक्त आराजी को भूखण्डों में विभक्त कर विक्रय आदि नही करें । ऐसा कुत्य प्रतिपक्षीगण ना तो स्वयं करे, ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें । राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। अन्य न्यायोचित सहायता जो आवश्यक हो प्रार्थी को प्रदान फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर बाद तलबी जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त किया गया।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के संयुक्त खाते भूमि है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता है कब्जे की अवधारणा मानी गई है ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस कारण प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त दौरानें बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अपने–2 प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी के कथनों की पुष्टि की जा सके। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत फर्द दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजी के कुल रकबा 4.41 है0 में प्रार्थी का 1/36 (0.1225 है0) हिस्सा निहित है एवं प्रार्थी द्वारा अपने दर्ज हिस्से की आराजी को भूखण्ड में विभाजित कर कुछ भू–भाग का बेचान कर रखा है। कुल 4.41 है0 रकबे में प्रार्थी का हिस्सा 0.12 है0 है तथा उसमें भी प्रार्थी द्वारा जरिये इकरारनामा भूखण्ड का बेचान किया हुआ है, उक्त तथ्य का वर्णन प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में नही किया गया है, जिसमें प्रमाणित होता है कि प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ है। अपने 0.12 है0 का भूखण्डों के रूप में बेचान करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण 4.41 है0 पर स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना न्यायिक प्रकिया का सही उपयोग नही माना जा सकता है। जिस कारण से प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। चूंकि प्रतिपक्षीगण वादग्रस्त कृषि आराजी के रिकॉर्डड सहखातेदार व काबिज काश्तकार है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता है कब्जे की अवधारणा मानी जाती है ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। और रिकॉर्डड खातेदार प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने में प्रार्थी के मुकाबले प्रतिपक्षी को ही अधिक असुविधा होगी, जिसके कारण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध पाया जाता है। तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति प्रार्थी के विरूद्ध बनने पाये जाते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 12/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा